



छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउंसिल

(फार्मसी अधिनियम-1948 की धारा 19 के तहत गठित)

(छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सांविधिक निकाय)

मकान न. - 40, आनंद नगर, रायपुर (छ.ग.) 492006

फ़ोन: 0771-2444591, मो.न. 9425505779, ईमेल:- cspcraipur@gmail.com वेबसाइट:- www.cspc.in

पत्र क्रमांक / सी.जी. / फार्मा / 2026 / 29

रायपुर, दिनांक : 22 / 01/2026

पंजीयन वैधता सम्बंधित सूचना

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउंसिल में पंजीकृत फार्मासिस्ट की पंजीयन वैधता के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि फार्मसी अधिनियम-1948 के उल्लेखानुसार "Every registered Pharmacist should renew his / her registration annually / five year before the 1st day of April every year according to the provision of section 34 of The Pharmacy Act-1948" प्रावधानित है जिसका उल्लेख छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउंसिल द्वारा जारी किये गए पंजीयन प्रमाण पत्र के अंतिम लाइन में उल्लेखित है।

अतः छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउंसिल द्वारा जारी फार्मासिस्ट पंजीयन प्रमाण पत्र जिनकी वैधता 31.12.2025 तक उल्लेखित है के सम्बन्ध में सर्वसम्बन्धितों को सूचित किया जाता है कि इस तरह के पंजीयन धारकों को 1 अप्रैल 2026 के पूर्व तक नवीनीकरण कराने की नियमानुसार पात्रता है अतः इन्हें 31.03.2026 तक वैध माना जाए तथा राज्यान्तर्गत किसी भी शासकीय / अशासकीय कार्यालय की भर्ती व अन्य प्रकरणों में पंजीयन वैधता के दृष्टिगत अपात्र न किया जाए।


22/01/2026

(अश्वनी गुर्देकर) -

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ राज्य फार्मसी काउंसिल
रायपुर (छग)।